प्रेषक,

प्रमुख सचिव,
चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. जिलाधिकारी, 25 उच्च प्राथमिकता वाले जनपद–
   बहराइच, बलरामपुर, बाराबंकी, बरेली, बदायूं, एटा, फैजाबाद, गोण्डा, हरदोई, कासगंज, कौशाम्बी, लखीमपुरखीरी, पीलीभीत, सन्तकबीरनगर, शाहजहांपुर, श्रावस्ती, सिद्धार्थनगर, सीतापुर, सोनभद्र, इलाहाबाद, कन्नौज, फर्रूखाबाद, महाराजगंज, मिर्जापुर एवं रामपुर।
2. मुख्य चिकित्सा अधिकारी– उपरोक्त 25 उच्च प्राथमिकता वाले जनपद

पत्र संख्याः एस.पी.एम.यू./आर.के.एस.के./4/2016–17/659-25 दिनांक : 27-04-16

विषयः राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम (आर.के.एस.के.) के अन्तर्गत पियर एजूकेटर व्यवस्था लागू किये जाने के सन्दर्भ में दिशा निर्देश।

महोदय

आप अवगत हैं कि प्रदेश में वित्तीय वर्ष 2014–15 से राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम आरम्भ किया गया है, जिसका क्रियान्वयन समस्त जनपदों में निर्गत किये गये दिशा निर्देशों के अनुसार किया जाना है। राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम (आर.के.एस.के.) के अन्तर्गत पियर एजूकेटर की व्यवस्था प्रदेश के 25 उच्च प्राथमिकता वाले जनपदों में वर्ष 2015–16 से लागू किये जाने के निर्देश भारत सरकार से प्राप्त हुये हैं। इन जनपदों में यह व्यवस्था चरणवार ढंग से आरम्भ की जायेगी तथा प्रथम चरण में प्रत्येक जनपद के 50 प्रतिशत ब्लॉक लिये जायेंगे। इन ब्लॉक्स से भी दो–दो पी0एच0सी0 (30,000 की आबादी वाली नवीन/एडीशनल पी.एच.सी.) के क्षेत्रान्तर्गत आने वाली आशाओं के साथ चार–चार पियर एजूकेटर चिन्हित किये जायेंगे। पियर एजूकेटर की चयन प्रकिया (संलग्नक–1) पियर एजूकेटर कार्यक्रम की रूपरेखा एवं इस कार्यक्रम के संचालन हेतु विस्तृत दिशा–निर्देश (संलग्नक–2) संलग्न किये जा रहे हैं। समस्त मुख्य चिकित्सा अधिकारियों का दायित्व होगा कि वे समस्त प्रभारी चिकित्सा अधिकारी एवं प्रभारी चिकित्सा अधिकारी के माध्यम से ए.एन.एम., आशा एवं ग्राम प्रधान को संलग्न दिशा निर्देश उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें, जिससे कि वे अपनी भूमिका को भली भांति समझकर आवश्यक कार्यवाही कर सकें।

प्रदेश की लगभग 22 प्रतिशत जनसंख्या किशोर आयु वर्ग (10 से 19 वर्ष) की है जिनके सही मार्गदर्शन से प्रदेश के सामाजिक एवं आर्थिक विकास हेतु अत्यधिक संभावनाओं के अवसर मिल सकते है। इस आयु वर्ग के बच्चों में तेजी से मानसिक एवं शारीरिक विकास होने के कारण बहुत सी जिज्ञासायें, उत्सुकतायें एवं प्रश्न उठते हैं, जिनका समाधान सामान्यतः उन्हें नही मिल पाता है, क्योंकि वे अपने माता–पिता अथवा शिक्षकों से उतने खुलेपन से बात नही कर सकते, जितने अपने साथी किशोरों से। यदि साथी किशोर के ज्ञान एवं कौशल को प्रशिक्षण से सुदृढ़ कर दिया जाये तो उनके द्वारा हम–उम्र साथियों को सही राह दिखा कर सकारात्मक विकास की ओर मोड़ा जा सकता है। इसी अवधारणा के दृष्टिगत राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम के अन्तर्गत पियर एजूकेटर कार्यक्रम का आरम्भ किया गया है तथा उत्तर प्रदेश में प्रथम चरण में यह कार्यक्रम 25 चिन्हित उच्च प्राथमिकता वाले जनपदों में आरम्भ किया जा रहा है।

उद्देश्य :–

- पियर एजूकेटर के माध्यम से किशोर आयुवर्ग (15 से 19 वर्ष) के बच्चों को उनकी जिज्ञासाओं का समाधान करने एवं समस्याओं की स्थिति में काउन्सलर्स के पास सन्दर्भित करके समस्या का निवारण करने में सहयोग प्राप्त करना।
- किशोर आयुवर्ग के बच्चे स्वस्थ एवं समुचित जीवन शैली अपनाते हुये सम्पूर्ण विकास प्राप्त कर सकें।

पियर एजूकेटर के मानक :

प्रत्येक आशा के क्षेत्र में समुदाय से 15 से 19 वर्ष की आयु वाले 4 पियर एजूकेटर्स का चयन ग्राम स्वास्थ्य, पोषण एवं स्वच्छता समिति के माध्यम से किया जाना है, इनमें से 2 स्कूल जाने वाले (एक बालक तथा एक बालिका) तथा 2 स्कूल न जाने वाले (एक बालक तथा एक बालिका) होंगे

- पियर एजूकेटर की उम्र 15–19 वर्ष होनी चाहिये।
- पियर एजूकेटर सम्बन्धित आशा के क्षेत्र का होगा।
- पियर एजूकेटर को 6 दिवसीय प्रशिक्षण दिया जायेगा एवं बिना किसी मानदेय के प्रत्येक सप्ताह लगभग 2 घन्टे का समय समुदाय को देंगे।
- पियर एजूकेटर में लीडरशिप की क्षमता होनी चाहिए तथा वह संवाद करने में दक्ष हों।
- ऐसे बालक/बालिकायें जिन्होंने स्वास्थ्य के अभियानों, कार्यक्रमों, आई.सी.डी.एस.की सबला योजना, युवा स्वास्थ्य सम्बन्धी अभियानों/कार्यक्रमों में स्वैच्छिक रूप से सक्रिय सहयोग दिया हो, को वरीयता दी जानी चाहिये।
- पियर एजूकेटर दिये गये कार्य करने के लिये इच्छुक हो।

पियर एजूकेटर का चयन ग्राम स्वास्थ्य पोषण एवं स्वच्छता समिति के माध्यम से किया जायेगा। वी.एच.एस.एन.सी. द्वारा चयनित किये गये पियर एजूकेटर के नाम का समुचित प्रस्ताव सभी सदस्यों के हस्ताक्षर सहित संलग्नक–3 के प्रारुप पर प्रभारी चिकित्सा अधिकारी को ए.एन.एम. के माध्यम से उपलब्ध करा दिया जायेगा। प्रभारी चिकित्सा अधिकारी द्वारा संलग्नक–3A पर व्यक्तिगत पंजीकरण किया जायेगा। पियर एजूकेटर के कर्त्तव्य तथा दायित्व संलग्न–4 पर दिये जा रहे हैं।

आपसे अनुरोध है कि उक्त चयन से पूर्व समुदाय में कार्यक्रम की जानकारी देने के लिये जनपद एवं ब्लॉक स्तर पर ओरियेन्टेशन कार्यशालायें आयोजित करें, जिससे समाज को इस कार्यक्रम का उद्देश्य एवं चयन प्रक्रिया की जानकारी हो सके। जिलाधिकारी स्तर से सभी ग्राम पंचायतों, खण्ड विकास अधिकारी तथा अन्य सम्बन्धित को इस क्रम में सरकुलर जारी किये जायें। चयन की तिथि से कम से कम 15 दिन पूर्व ब्लॉक के प्रभारी चिकित्सा अधिकारी द्वारा ए.एन.एम/आशा के माध्यम से सभी ग्राम पंचायतों, गांव के स्कूलों, आंगनवाड़ी केन्द्रों तथा उपकेन्द्रों पर कार्यक्रम की संक्षिप्त रूपरेखा, पी.ई.चयन के मानक एवं चयन तिथि की सूचना सम्बन्धी परिपत्र चस्पां करा दिये जायें, जिससे सम्बन्धित कर्मी एवं समुदाय के लोग इस प्रक्रिया से पूर्व से ही सूचित रहें।

इस सम्बन्ध में मुख्य चिकित्सा अधिकारी स्तर से भी सम्बन्धित कर्मियों को दिशा निर्देश निर्गत किये जायेंगे। जिलाधिकारी, मुख्य विकास अधिकारी, मुख्य चिकित्सा अधिकारी एवं ब्लॉक स्तरीय सम्बन्धित अधिकारियों के सम्मिलित प्रयास से यह चयन सुचारू रूप से सम्पन्न कराया जाना है, जिससे कि सभी चयनित पियर एजूकेटरों का 6 दिवसीय प्रशिक्षण (प्रत्येक सप्ताह एक दिन) इस प्रकार कुल 6 सप्ताह में पूर्ण किया जा सके तथा समुदाय को इस महत्वाकांक्षी योजना का लाभ मिल सके।

संलग्नक – उपरोक्तानुसार

भवदीय

(अरविन्द कुमार)
प्रमुख सचिव
दिनांकः

पत्र संख्याः एस.पी.एम.यू./आर.के.एस.के./4/2015–16/
प्रतिलिपि– निम्नलिखित को आवश्यक कार्यवाही एवं सूचनार्थ हेतु–

1. प्रमुख सचिव, शिक्षा/महिला कल्याण/बाल विकास व पंचायती राज उ0प्र0 शासन, लखनऊ।
2. श्रीमती वन्दना गुरनानी, संयुक्त सचिव, भारत सरकार, नई दिल्ली।
3. महानिदेशक, परिवार कल्याण/चिकित्सा शिक्षा/चिकित्सा स्वास्थ्य उ0प्र0, लखनऊ। ।
4. समस्त सम्बन्धित मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
5. समस्त सम्बन्धित मण्डलीय अपर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण उ0प्र0।
6. समस्त नोडल अधिकारी, आर0के0एस0के0 उच्च प्राथमिकता वाले 25 जनपद।

(आलोक कुमार)
मिशन निदेशक

पियर एजूकेटर की चयन प्रक्रिया

1–चिन्हीकरणः–

पियर एजूकेटर के चयन के लिये ए.एन.एम. द्वारा ग्राम स्वास्थ्य,पोषण एवं स्वच्छता समिति की बैठक बुलाई जायेगी, जिसमें पियर एजूकेटर का चयन किया जायेगा। बैठक से 15 दिन पूर्व अपने क्षेत्र में इस योजना का उदेदश्य एवं कार्यक्रम में पी.ई. की भूमिका से समुदाय को अवगत कराया जायेगा। कार्यक्रम के सम्बन्ध में ब्लॉक के प्रभारी चिकित्सा अधिकारी द्वारा ए.एन.एम/आशा के माध्यम से सभी ग्राम पंचायतों, गांव के स्कूलों, आंगनवाड़ी केन्द्रों तथा उपकेन्द्रों पर कार्यक्रम की संक्षिप्त रूपरेखा, पी.ई.चयन के मानक एवं चयन तिथि की सूचना सम्बन्धी परिपत्र चस्पां करा दिये जायेंगे, जिससे सम्बन्धित कर्मी एवं समुदाय के लोग इस प्रकिया से पूर्व से ही सूचित रहें।

निर्धारित तिथि में, ए.एन.एम., आंगनवाड़ी एवं आशा द्वारा एक समूह बैठक आयोजित की जायेगी। इस बैठक में मानकानुसार स्वैच्छिक रूप से कार्य करने वाले किशोर किशोरियों एवं उनके माता पिता तथा अन्य ग्राम वासी सम्मिलित होंगे। बैठक में कार्य करने के इच्छुक किशोरों एवं उनके माता–पिता से लिखित सहमति पत्र प्राप्त किया जायेगा। इसके लिये 15–19 वर्ष की आयु के इच्छुक किशोरों को अवगत कराया जायेगा कि इनका चयन ग्राम स्वास्थ्य, पोषण एवं स्वच्छता समिति के द्वारा किया जायेगा जहॉ उपरोक्त मानक के अनुसार सबसे अच्छे 4 पियर एजूकेटर का चयन, वाद–विवाद प्रतियोगिता, भाषण, रोलप्ले, संवाद क्षमता आदि के माध्यम से किया जायेगा। इस हेतु सभी इच्छुक किशोरों को ग्राम स्वास्थ्य, पोषण एवं स्वच्छता समिति की बैठक की तिथि की जानकारी देते हुये बैठक में प्रतिभाग हेतु आमंत्रित किया जायेगा।

2–चयन :–

पियर एजूकेटर का चयन गॉव की वी.एच.एस.एन.सी. द्वारा सर्वसम्मति से चिन्हित बालक बालिकाओं में से किया जायेगा। इसके लिये ए.एन.एम. द्वारा वी.एच.एस.एन.सी. की बैठक बुलाई जायेगी, जिसमें सम्बन्धित सदस्यों के अतिरिक्त स्कूल टीचर (सम्बन्धित स्कूल के) को विशेष आमंत्री के रूप में बुलाया जायेगा। साथ ही बच्चों के माता–पिता भी इस बैठक में उपस्थित रहेंगे।

वी.एच.एस.एन.सी. की बैठक में पियर एजूकेटर के चयन के पूर्व उपस्थित सभी लोगों को किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम के विषय में जानकारी दी जायेगी जिसमें पियर एजूकेटर के मानक एवं उनके भूमिका से पुनः अवगत कराया जायेगा।

बैठक में 2–3 युवा स्वास्थ्य सम्बन्धी विषयों पर वाद–विवाद प्रतियोगिता, भाषण, रोलप्ले, संवाद क्षमता आदि के माध्यम से बच्चे का व्यक्तित्व, ज्ञान, वाकपुटुता एवं नेतृत्व क्षमता का आंकलन करते हुये सर्वश्रेष्ठ 4 पी0ई0 प्रत्येक आशा के क्षेत्र में 2 स्कूल जाने वाले (एक बालक तथा एक बालिका) तथा 2 स्कूल न जाने वाले (एक बालक तथा एक बालिका) का चयन किया जायेगा।

वी.एच.एस.एन.सी. द्वारा चयनित किये गये पियर एजूकेटर के नाम का समुचित प्रस्ताव सभी सदस्यों के हस्ताक्षर सहित संलग्न प्रारूप–3 पर प्रभारी चिकित्सा अधिकारी को ए.एन.एम.के माध्यम से चयन के तीन दिन के अन्दर उपलब्ध करा दिया जायेगा।

प्रभारी चिकित्सा अधिकारी द्वारा चयनित पी0ई0 की सूचना संकलित कर जनपदीय नोडल अधिकारी को उपलब्ध करायी जायेगी।

कार्यक्रम की रुपरेखा एवं संचालन हेतु दिशा निर्देश

पियर एजूकेशन कार्यक्रम के माध्यम से किशोरों (10–19 वर्ष) को नियमित रूप से लाभ उठाने के लिए प्रोत्साहित किया जाना है। इस कार्यक्रम में – पोषण में सुधार, यौन और प्रजनन स्वास्थ्य, असंक्रामक बीमारियां, चोटे व लिंग आधरित हिंसा, नशावृत्ति और मानसिक स्वास्थ्य आदि सम्मिलित है। इस कार्यक्रम से यह आशा की जाती है कि इससे किशोरों के जीवन कौशल, ज्ञान और योग्यता में सुधार आयेगा।

किशोरों को समर्थन प्रदान करने में माता–पिता की अहम भूमिका होती है। माता–पिता को जागरूक करने के लिए व किशोरों की आवश्यकताओं की ओर संवेदनशील बनाने के लिए विद्यालयों में होने वाली माता–पिता एवं अध्यापकों की बैठकों का समय उपयोग किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त, किशोर स्वास्थ्य दिवस के दौरान काउन्सलर या प्रशिक्षित एम.ओ./ए.एन.एम. माता–पिता के साथ समूह बैठकें कर सकते हैं ताकि उन्हें किशोर स्वास्थ्य से सम्बन्धित विषयों पर जानकारी दी जा सके, जिससे कि माता पिता किशोरों की जरुरतों को समझें, उनकी परेशानियों का हल ढूँढ़ने में उनकी मदद करें तथा अपने स्तर पर बहुत सी समस्याओं का निराकरण कर सकें।

नई राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य रणनीति में 10–19 वर्ष के किशोरों को स्वास्थ्य संबंधी विषयों पर बचाव व इलाज पर अत्यधिक जोर दिया गया है। समुदाय स्तर पर पियर शिक्षण इस रणनीति का एक प्रमुख घटक है। विश्व स्तर पर युवाओं तक किशोर स्वास्थ्य सम्बंधित विषयों के ज्ञान को पहुंचाने में पियर एजूकेटर का अत्यधिक महत्वपूर्ण योगदान है। एक पियर एजूकेटर द्वारा दी गई जानकारी को उसके ही समायु व समान भौगोलिक परिप्रेक्ष्य में रहने वाले अन्य किशोर अच्छी तरह से समझ पाते हैं और उन पर उनका पूर्ण विश्वास भी होता है।

पियर एजुकेटर का विकास–

पियर एजुकेटर की कार्यशैली को निंरतर बढ़ावा मिलता रहे इसके लिए सफल पियर एजुकेटर को राज्य अथवा जिला स्तर पर होने वाले सम्मेलनों अथवा बैठकों में बुलाया जायेगा। सफल पियर एजुकेटर की साप्ताहिक बैठकों में अन्य पियर एजुकेटर्स को बुला कर उन्हें भी इस प्रकार की बैठकों को आयोजित करने के लिए प्रोत्साहित किया जायेगा।

पियर एजुकेटर कार्यक्रम को लागू करने की प्रक्रिया–

पियर एजुकेटर कार्यक्रम की योजना बनाने, लागू करने की प्रक्रिया व उसके निरीक्षण आदि के लिए राज्य स्तर पर विभिन्न चरणों में क्रियान्वयन प्रक्रिया चलाई जानी होगी। यह लागू करने की प्रक्रिया जिला स्तर पर स्वास्थ्य विभाग द्वारा सीधे चलाई जानी है। नीचे खण्डों में दर्शाया गया है कि राज्य, जिला, ब्लॉक, APHC/उप–स्वास्थ्य केंद्र और अंत में समुदाय स्तर पर कार्यक्रम किस प्रकार लागू किया जाना है:–

जिला स्तर पर पियर एजुकेटर कार्यक्रम के कियान्वयन हेतु

जिलाधिकारी/ सी.एम.ओ./डी.पी.एम./जिला नोडल ए.एच. अधिकारी द्वारा अन्य विभागों से समन्वयन जिला स्तर पर शिक्षा विभाग और महिला व बाल कल्याण विभाग आदि के साथ मिलकर कार्य करने के अवसर तलाशे जायें।

जिला नोडल अधिकारी आर.के.एस.के. द्वारा निम्न कार्य किये जायेगें–

- जिन क्षेत्रों में पियर एजुकेटर का चयन होना है वहॉ दी गई प्रकिया के अनुसार तत्काल कार्यवाही की जाये।
- प्रत्येक पियर एजुकेटर को प्रति सप्ताह एक दिन का कुल छः दिनों का प्रशिक्षण दिया जायेगा। यह प्रशिक्षण उन्हे सामुदायिक अथवा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र पर मौजूद चिकित्सक द्वारा प्रदान किया जायेगा।
- प्रशिक्षित पियर एजुकेटर को 15–20 किशोरो का एक समूह बनाकर प्रत्येक माह साप्ताहिक बैठकें करनी होगी।
- किशोर स्वास्थ्य पर कार्यक्रम आयोजित करना व जागरूकता के लिए कर्मचारियों को प्रशिक्षण देना।
- पियर एजुकेटर के लिए गैरवित्तीय प्रोत्साहन जैसे एक्सपोजर विजिट, एवार्ड, जन सामान्य में सम्मान आदि पर विचार किया जायेगा।
- मासिक निरीक्षण व रिपोर्टिंग राज्य स्तर पर देने के लिए मासिक रिपोर्ट तैयार करना व उनका विश्लेषण कर राज्य को प्रस्तुत करना तथा कार्यक्रम में सुधार के लिए सुझाव (Communicating feedback) देना।

पियर एजुकेटर कार्यक्रम के ब्लॉक स्तर पर कियान्वयन की प्रकिया

ब्लॉक स्तरीय ए.एफ.एच.एस. काउन्सलर सामुदायिक अथवा ब्लॉक एन.एच.एम. कार्यक्रम प्रबन्धक द्वारा गतिविधियों का

- मासिक अनुश्रवण व रिपोर्टिंग
- भ्रमण के द्वारा लगातार गतिविधियों का निरीक्षण
- ब्लॉक स्तर की मासिक रिपोर्ट को तैयार कर विश्लेषण कर जिला स्तर पर प्रस्तुत करना।
- कार्यक्रम में सुधार के लिए सुझाव देना

प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र /उपकेन्द्र स्तर पर पियर एजुकेटर कार्यक्रम कियान्वयन की प्रकिया

- प्रभारी चिकित्साधिकारी प्रा0स्वा0 केन्द्र/ए.एफ.एच.एस. काउन्सलर के द्वारा आउटरीच सत्र के माध्यम से निरीक्षण निरन्तर भ्रमण के द्वारा पियर शिक्षण की गुणवत्ता की जांच करना (प्रति माह 2 किशोर समूह प्रति गांव)
- रिपोर्ट उनका विश्लेषण व प्रतिपुष्टि का कार्य पी.एच.सी. के प्रभारी चिकित्साधिकारी द्वारा ए.एन.एम. के सहयोग से किया जायेगा।
- उपकेन्द्र स्तर पर ए.एन.एम. द्वारा मासिक किशोर मित्रवत क्लब (ए.एफ.सी.) का आयोजन सब सेन्टर स्तर पर अथवा उचित स्थान पर जहां पियर एजुकेटर आ सके एवं रिपोर्ट उनका विश्लेषण व प्रतिपुष्टि तथा कार्यक्रम में सुधार हेतु सुझाव देना।

समुदाय स्तर पर पियर एजुकेटर कार्यक्रम का कियान्वयन

समुदाय स्तर पर आशा, ए.एन.एम. पियर एजुकेटर्स तथा आशा फैसिलिटेटर द्वारा निम्नवत कार्य किये जायेगें।

क्रम	गतिविधियां	आवृत्ति और कियान्वयन का समय	प्राथमिक जिम्मेदारी
1	समुदाय में जागरूकता द्वारा सामुदायिक समर्थन	वार्षिक	आशा
2	पियर एजुकेटर का चयन	वार्षिक (कार्यक्रम के प्रारम्भ में एक बार)	आशा की मदद से ए.एन.एम द्वारा
3	किशोर समूह का गठन	वार्षिक	पियर एजुकेटर द्वारा आशा की मद्द से
4	पियर एजुकेटर की बैंठके करवाना व बैठकों की डायरी बनाये रखना	4 बैठके प्रतिमाह	पियर एजुकेटर
5	किशोर मित्र क्लब की मासिक बैठक करवाना	मासिक	ए.एन.एम
6	साप्ताहिक गतिविधियों पर आधारित मासिक रिपोर्ट तैयार करना	मासिक	पियर एजुकेटर
7	ब्लॉक स्तर क लिए मासिक रिपोर्ट उसका विश्लेषण व प्रतिपुष्टि तैयार करना	मासिक	आशा फेसलिटेटर

किशोर स्वास्थ्य दिवस–

किशोर स्वास्थ्य दिवस राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य की **समुदाय आधारित रणनीति** का एक महत्वपूर्ण अंग है। इसके मुख्य उद्देश्य हैं:–

- किशोरों में उनके स्वास्थ्य संबंधी आवश्यक निवारक और बचाव उपायों को बढ़ावा देना।
- माता पिता एवं अन्य हितधारकों में किशोर स्वास्थ्य सम्बंधी जानकारी बढ़ाना।
- किशोरों को पोषण, यौन एवं प्रजनन स्वास्थ्य, मानसिक स्वास्थ्य, चोटें तथा हिंसा (लिंग आधारित हिंसा भी) नशावृत्ति और असंक्रामक बीमारियों (**NCDs**) के विषय में जागरूक करना।
- किशोर स्वास्थ्य क्लीनिक (ए.एफ.एच.एस. क्लीनिक) के बारे में विशेष रुप से बताना तथा अन्य किशोर स्वास्थ्य संबंधी सुविधाओं के बारे में जानकारी देना।

किशोर स्वास्थ्य दिवस राज्य के प्रत्येक ग्राम पंचायत स्तर पर हर तिमाही पर किसी भी सुविधाजनक दिन (खासतौर पर रविवार को) अथवा **VHND** के साथ मनाया जायेगा। सबला जिलों में यह दिवस किशोरी दिवस के साथ मनाया जा सकता है। यह दिवस आँगनवाड़ी सेंटर या किसी भी सामुदायिक स्थान पर मनाया जायेगा।

किशोर स्वास्थ्य दिवस पर सेवायें प्राप्त करने के लिए निम्न सभी किशोर उप समूह जैसे– किशोर और किशोरियां, 10–14 वर्ष एवं 15–19 वर्ष के स्कूल जाने वाले एवं स्कूल न जाने वाले किशोर एवं विवाहित किशोर उपस्थित होंगे। इसके अतिरिक्त अन्य हितधारको जैसे माता पिता, सामुदायिक नेता जैसे पंचायत व **VHSNC** के सदस्य, अध्यापक आदि को भी किशोर स्वास्थ्य संबधी जरूरतों को समझाने का प्रयास किया जाना चाहिए।

किशोर स्वास्थ्य दिवस का आयोजन–

निश्चित दिन व समय पर पियर एजुकेटर, आशा, आंगनवाड़ी कार्यकत्री और अन्य गैर सरकारी संगठन (FNGOs, जहां उपलब्ध हों) क्षेत्र के किशोरों, उनके माता पिता और अन्य हितधारकों को पास के आंगनवाड़ी केन्द्र या अन्य किसी सामुदायिक स्थान पर एकत्रित करेंगे।

लक्षित समूह के ध्यान आर्कषण एवं किशोर स्वास्थ्य पर जानकारी प्रदान करने हेतु मनोरंजन व उपयोगी कार्यकलापों का जैसे नाटक, लघु नाटिका, कठपुतली नाच आदि, का आयोजन करेंगे।

यह अत्यंत आवश्यक है कि किशोर स्वास्थ्य दिवस पर सेवाएं प्रदान करने तथा लक्षित समूह को किशोर स्वास्थ्य विषयों की जानकारी देने के लिए ए.एन.एम. व अन्य स्वास्थ्य अधिकारी वहाँ मौजूद हों जिससे लक्षित समूहः जैसे किशोर व किशोरियॉ इन स्वास्थ्य अधिकरियों से बातचीत करके प्रदान की जाने वाली सुविधाओं और अन्य आवश्यक जानकारी को प्राप्त कर सकें। साथ ही वे किशोर स्वास्थ्य सम्बंधी निवारक एवं बचाव उपायों के बारें में भी विस्तृत जानकारी ले सकें और वे किशोर स्वास्थ्य क्लीनिक पर जा कर सेवा प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित हो सकें।

संलग्नक–3

चयनित पियर एजूकेटर के विवरण का प्रारूप

आशा का नाम–					ग्राम का नाम–			ब्लॉक का नाम–	
क्रम सं0	किशोर का नाम	उम्र	लिंग	पता	पिता/माता का नाम	मो0 नम्बर	स्कूल जाने वाला / न जाने वाला	शैक्षिक योग्यता एवं स्कूल का नाम	
								शिक्षा का स्तर	स्कूल का नाम
1									
2									
3									
4									

ए0एन0एम0 आशा प्रधान के हस्ताक्षर

नोटः– इस हस्ताक्षरित प्रारूप के साथ वी.एच.एस.एन.सी. का हस्ताक्षरित प्रस्ताव संलग्न कर प्रभारी चिकित्सा अधिकारी को उपलब्ध कराया जायेगा

संलग्नक– 3A

पियर एजूकेटर पंजीकरण प्रपत्र

क्रमांक संख्या–_____

दिनांक– _____

फोटो

पियर एजूकेटर का नाम– _____

लिंग (किशोर/किशोरी)–_____

उम्र– _____

अभिवावक/माता–पिता का नाम–_____

पता–_____

_____

_____

स्कूल जाने वाले/स्कूल न जाने वाले–_____

यदि स्कूल जाने वाले तो कक्षा/स्कूल
का नाम एवं पता लिखें–_____

यदि स्कूल न जाने वाले है तो अनुरुप
व्यवसाय लिखें–_____

मोबाइल न0–_____

ई–मेल आईडी–_____

हस्ताक्षर

प्रति हस्ताक्षर

पियर एजुकेटर के कर्तव्य एवं दायित्व–

प्रत्येक पीयर एजुकेटर से अपेक्षित है कि वह :–

- अपने क्षेत्र के 15–20 किशोरों का समूह बनायेंगे तथा सप्ताह में 1 या 2 घण्टे का सहभागी सत्र आयोजित करेंगे, जिसमें पी0ई0 किट (किताबें, पाठ्य सामग्री एवं खेल) का उपयोग करेंगे।
- किशोर स्वास्थ्य दिवस में भाग लेने और युवा लोगों को और उनके माता–पिता को इसके बारे में बतायेंगा और जागरूक करेगा।
- किशोर स्वास्थ्य क्लीनिक और किशोर हेल्पलाईन/वेबसाइट के लिये रेफर करेगा
- किशोर स्वास्थ्य दिवस पर स्वास्थ्य जाँच के लिए प्रोत्साहित करेगा।
- पियर एजूकेटरों से यह भी आशा की जाती है कि वह एक डायरी बनायेगें, जिसमें उनके द्वारा की गई बैठकों और उनमें हिस्सा लेने वाले किशोरों की संख्या दर्ज की जायेगी। प्रत्येक माह के अंत में पियर एजूकेटरों को एक सयुंक्त रिपोर्ट तैयार करनी होगी।

सामान्य रूप से एक पियर एजुकेटर की भूमिका को 3 वर्गों में बाँटा जा सकता है:–

1. उपयुक्त सामग्री के द्वारा अन्य किशोर व किशोरियों में जानकारी को साझा करना।
2. पियर शिक्षण द्वारा किशोर व किशोरियों के ज्ञान, योग्यता व कौशल को बढ़ावा देना।
3. गहन मनोवैज्ञानिक विषयों पर प्रशिक्षित काउन्सलर्स द्वारा परामर्श हेतु संदर्भित करना।

पियर एजुकेटर के लिये:–

- पियर एजुकेटर्स की बैठकों में किशोरावस्था में आने वाली समस्याओं से सम्बन्धित विषयों जैसे आयु,किशोरावस्था की संवेदनशीलता, वैवाहिक स्तर, जीवन कौशल, किशोरावस्था के जोखिम, विभिन्न संक्रमण RTI/STI, HIV/AIDS के खतरों व गर्भावस्था, मानसिक स्वास्थ्य, यौन उत्पीड़न, महिलाओं एवं बच्चों के खिलाफ हिंसा, मादक पदार्थो का सेवन आदि विषयों पर विशेष ध्यान दिया जायेगा जिससे कि सभी किशोर इन समस्याओं से अवगत हो सकें।
- पियर एजुकेटर किट व एफ.ए.क्यू. किताब की सहायता से भागीदारी सत्र करवाए जायेंगे जिसमें कि सभी किशोरों को अपने प्रश्न उठाने का मौका मिल सके। इसके लिए यह भी ध्यान दिया जायेगा कि अगर कोई किशोर अकेले में कोई सवाल पूछना चाहे, तब भी उसकी इच्छा का पूरा समर्थन किया जाये।
- किशोर समूह की बैठकों में नियमित उपस्थिति को बढ़ावा दिया जायेगा जिसके लिए रविवार के दिन बैठक को प्राथमिकता दी जायेगी, जिससे कि सभी किशोर उपस्थित रह सकें।
- किशोरों को किशोर हेल्पलाईन व किशोर स्वास्थ्य क्लीनिक, किशोर स्वास्थ्य दिवस, अन्य व्यावसायिक प्रशिक्षण केन्द्रों आदि के बारे में बताकर उन्हें उस संस्था में भी रेफर करने हेतु बताया जायेगा।